न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 41 / अपील / 2025 (GCMS No. 2025 / 115)	04.08.2025	23.09.2025

महावीर प्रसाद मीणा आ0 स्व0 बाबूलाल जाति मीणा,
निवासी ग्राम हीरापुर, तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज0)
— अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, बून्दी
— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी, बून्दी
निर्णय दिनांक 05.08.2022 प्रकरण संख्या 07 / 2022

उपस्थितः—
1. अपीलांट की ओर से श्री नवेद केसर, एडवोकेट।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार (रसद)।

:: निर्णय ::

अपीलांट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2022 से व्यथित होकर अन्तर्गत धारा 15(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 इस न्यायालय में संस्थित की है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जिसे बहाल करवाये जाने का निवेदन किया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार अपील हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 41 / 2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025 / 115 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। जिला रसद अधिकारी बून्दी के पत्र दिनांक 26.08.2025 से मूल पत्रावली प्राप्त हुई।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए व्यक्त किया कि अपीलांट के नाम ग्राम पंचायत माणी तहसील नैनवां जिला बून्दी में नियमानुसार उचित मूल्य वस्तुऐं एवं सामग्री का वितरण करने के लिए एक प्राधिकार संख्या 937/2004 रेस्पोडेंट द्वारा जारी किया हुआ है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को एक नोटिस प्रेषित कर बताया कि निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य की दुकान बन्द मिली और दुकान को बन्द करने का नोटिस बोर्ड पर कोई कारण लिखा हुआ नहीं है और गेहू वितरण में अनियमितता पायी गई है। जिस कारण रेस्पोडेंट ने प्रकरण संख्या 07/2022 दर्ज कर कार्यालय आदेश कमांक 1511 दिनांक 21.04.2022 को उचित मूल्य की दुकान प्राधिकार पत्र संख्या 937/2004 को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया जाकर उक्त उचित मूल्य दुकान की अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था निकटतम उचित मूल्य दुकानदार श्री रघुवीर नागर आ. रामफूल ग्राम पंचायत करवर को पॉस कोड 30989 की गई। अपीलांट द्वारा अटैच उचित मूल्य दुकानदार श्री रघुवीर नागर को पॉस मशीन देने से इन्कार किये जाने एवं अवशेष स्टॉक नहीं संभलाये जाने बाबत नोटिस कमांक 1731 दिनांक 05.05.2022 जारी किया जाकर जवाब तलब किया गया। अपीलांट को मासिक रिटर्न का प्रारूप ऑफिस द्वारा नहीं दिया गया था, इस बारे में अपीलांट ने विभाग को अवगत करा दिया था। विभाग की गलती से अपीलांट मासिक रिटर्न विभाग को प्रस्तुत नहीं कर सका था। अपीलांट द्वारा उचित मूल्य सामग्री की सूची प्रदर्शित नहीं किया जाना निर्णय में अंकित किया है जबकि उसके द्वारा अपनी दुकान के बोर्ड पर सूची लगायी गयी थी। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट से कई बार मौखिक तोर से निवेदन किया गया कि अपीलांट पॉस मशीन के द्वारा 169.88 क्विंटल गेहूँ एवं 349.28 कि.ग्रा. चीनी अधिक को संभलाने को तैयार है लेकिन रेस्पोडेंट ने उक्त खाद्यान्न को संभालने से इन्कार कर दिया। अपीलांट द्वारा जिला रसद कार्यालय बून्दी में उपस्थित होकर उक्त नोटिस का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त भी जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा दिनांक 05.08.2022 को निर्णय पारित कर अपीलांट को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्षेत्र के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त की संख्या 5, 6, 8, 11 व 17–ग का उल्लंघन करना बताकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 937/2004 निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने एवं राशन सामग्री गेहॅू, चीनी, केरोसीन की वर्तमान बाजार कीमत से राशि की गणना कर उक्त राशि निर्णय दिनांक से 18 प्रतिशत ब्याज सहित अपीलांट की चल–अचल सम्पत्ति में से वसूल कर राजकोष में जमा कराने का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त गैर कानूनी आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के बाद सन् 2004 से ही नियमित रूप से उचित मूल्य सामग्री का नियमानुसार वितरण कर रहा है। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता द्वारा राशन सामग्री नहीं देने एवं अनियमिताएं करने के संबंध में कोई शिकायत नहीं करने के बावजूद प्राधिकार पत्र को गलत रूप से निरस्त किया गया। रेस्पोडेंट ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट के पास उक्त उचित मूल्य की दुकान के अलावा अन्य कोई रोजगार का साधन नहीं है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रदान किये गये आदेश में अपीलांट के जवाब को अनदेखा गया, जो कानून के सिद्धान्तों को विपरीत होने के कारण रद्द किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा निर्णय की प्रमाणित प्रति लेने हेतु दिनांक 10.11.2022 को आवेदन किया तथा दिनांक 17.11.2022 को नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्ति से अपील अन्दर अवधि पेश की गई है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2022 को निरस्त फरमाया जाकर प्राधिकार पत्र सं. 937/2004 को बहाल किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार (रसद) ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ता पखवाडा समाप्त हो जाने के उपरान्त भी 44.49 प्रतिशत गेहू का वितरण किया गया था। दिनांक 20.04.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक नैनवां द्वारा उचित मूल्य दुकानदार महावीर प्रसाद मीणा, ग्राम पंचायत करवर (माणी) तहसील नैनवां (पोस कोड–3059) का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उक्त उचित मूल्य दुकानदार बन्द मिली, सूचना बोर्ड पर बन्द रखने का कोई कारण अंकित नहीं किया हुआ था तथा बार बार मोबाईल पर सम्पर्क करने पर भी जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक नैनवां की रिपोर्ट के आधार पर अनियमितताओं के कारण विभागीय प्रकरण संख्या 07/2022 दर्ज कर कार्यालय आदेश दिनांक 21.04.2022 को उचित मूल्य दुकानदार, करवर (माणी) को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 937/2004 अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया गया। इसके बाद मै0 महावीर मीणा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत करवर (माणी) को दिनांक 05.05.2022 को नोटिस जारी कर बकाया रिकवरी व अटेच उचित मूल्य दुकानदार को पॉस मशीन व स्टॉक संभलाने बाबत जवाब तलब किया गया। अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थार्थ उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उसको पॉस मशीन एवं अवशेष स्टॉक संभलाने से इन्कार किये जाने बाबत दिनांक 02.05.2022 को सूचना दी गई। इस संबंध में दिनांक 12.05.2022 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया और न ही बकाया रिकवरी जमा करवाई गई। प्रवर्तन निरीक्षक नैनवां की चार्ज हस्तान्तरण रिपोर्ट दिनांक 23.05.2022 के अनुसार अपीलांट द्वारा पॉस मशीन में अंकित स्टॉक गेहूं

अति0 3965 कि.ग्रा. गेहू बी.पी.एल. व ए.पी.एल. 13033 कि.ग्रा. कुल गेहू 16988 किलोग्राम (169 क्विंटल 88 कि.ग्रा.) एवं 349.28 कि.ग्रा. चीनी का स्टॉक नहीं संभलाया गया, जो कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त गेहूँ व चीनी का गबन करने की श्रेणी में आता है। इस कारण उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र सं. 937/2004 को निरस्त किया जाकर जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/– जब्त सरकार किया गया, जो उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ है कि श्री महावीर प्रसाद मीणा को उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत करवर (माणी) के लिए प्राधिकार पत्र संख्या 937/2004 जारी किया हुआ था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ता पखवाडा समाप्त हो जाने के उपरान्त भी 44.49 प्रतिशत गेहूँ का वितरण किया गया। इस पर प्रवर्तन निरीक्षक नैनवां द्वारा उचित मूल्य दुकान का दिनांक 20.04.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार वक्त निरीक्षण दुकान बन्द मिली तथा नोटिस बोर्ड पर बन्द का कोई कारण अंकित नहीं किया गया था, बार बार मोबाईल से सम्पर्क करने पर भी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा जवाब नही दिया जाना अंकित किया है। निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत करवर (माणी) पोस कोड– 3059 में अनियमितताऐं पायी गयी। जिस पर विभागीय प्रकरण सं. 07/2022 दर्ज कर कार्यालय आदेश दिनांक 21.04.2022 को उचित मूल्य दुकानदार करवर (माणी) को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 937/2004 अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया जाकर उचित मूल्य दुकानदार को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 12.05.2022 को जिला रसद कार्यालय, बून्दी में उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अपीलांट द्वारा पेश किया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। प्रवर्तन निरीक्षक नैनवां की चार्ज हस्तान्तरण रिपोर्ट दिनांक 23.05.2022 के अनुसार श्री महावीर प्रसाद मीणा के द्वारा अटैच उचित मूल्य दुकानदार रघुवीर नागर को चार्ज में केवल पॉस मशीन ही दी गई है, पॉस मशीन में अंकित स्टॉक गेहूं अति0 3965 कि.ग्रा., गेहू बी.पी.एल. व ए.पी.एल. 13033 कि.ग्रा. कुल गेहू 16988 कि.ग्रा. (169 क्विंटल 88 कि.ग्रा.) एवं 349.28 कि.ग्रा.चीनी का स्टॉक नहीं संभलाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त गेहूँ व चीनी का गबन किया गया है। इसके संबंध में नोटिस दिया जाकर जवाब तलब किया गया, किन्तु उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बकाया रिकवरी जमा कराने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अपीलांट द्वारा बकाया रिकवरी जमा नही करवायी गई। इस कारण श्री महावीर प्रसाद मीणा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र सं. 937/2004 को निरस्त किया जाकर जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/– जब्त सरकार की गई।

एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

अपीलांट द्वारा अपील के पेरा नं. 9 में अंकित किया है कि उसके द्वारा रेस्पोडेंट से कई बार मौखिक तौर पर निवेदन किया कि वह पॉस मशीन के द्वारा 169 क्विंटल 88 कि.ग्रा. गेहू व 349.28 कि.ग्रा. चीनी को संभलाने को तैयार है लेकिन रेस्पोडेंट ने उक्त खाद्यान्न को संभालने से इन्कार कर दिया। हालांकि मौखिक तौर पर अपीलांट द्वारा स्टॉक संभलाने हेतु निवेदन करने तथा रेस्पो. द्वारा संभालने से इन्कार करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है लेकिन इससे यह तो प्रकट होता है कि उसके द्वारा पॉस मशीन के साथ 169 क्विंटल 88 कि.ग्रा. गेहूं एवं 349.28 कि.ग्रा. चीनी का स्टॉक नहीं संभलाये जाने के तथ्य पर अपीलांट की स्वीकारोक्ति है, जो कि गेहू एवं चीनी के गबन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में उक्त उचित मूल्य दुकान पर अनियमितता पाये जाने संबंधी तथ्य प्रमाणित पाये गये है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की विवेचना से स्पष्ट होता है कि जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रकरण में जांच करवाई गई तथा जांच रिपोर्ट के संबंध में उचित मूल्य दुकानदार मै0 महावीर प्रसाद मीणा पोस कोड– 3059 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट की ओर से पेश किया गया नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इस न्यायालय में भी अपीलांट द्वारा उचित मूल्य दुकान में अनियमितताओं के संबंध में विभागीय कार्यवाही में पाये गये तथ्यों को असत्य साबित करने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। जिससे प्रमाणित होता है कि उक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकानदार की विधिवत सुनवाई की जाकर विभागीय निर्देशों एवं नियमों को मद्देनजर रखते हुये तथ्यों की विवेचना की जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 6, 8, 11 व 17(ग) का उल्लंघन करना पाये जाने पर प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं अपीलांट की जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का आदेश दिनांक 05.08.2025 पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी गयी। ऐसे में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी